BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 27 नवम्बर, 2024 **CRACKDOWN BULANDSHAH** **थाना कोतवाली देहात**

गौकशी करने वाले बदमाश से स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 15,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, गौकशी के उपकरण व 01 बाईक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.11.2024 को एक अभिसूचना पर स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम हजरतपुल वाले बम्बे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी, इसी दौरान एक बाइक पर सवार 01 संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को मोड़कर तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर बदमाश को घेर लिया गया। जिस पर बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1. शहनवाज उर्फ पतला पुत्र रफीक उर्फ रफात निवासी डी-248 गली नं0 04 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बदमाश ने दिनांक 03/04.08.2024 की रात्रि को चौकी मण्डी क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था जिसके सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया था। उक्त बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं। अभियुक्त शहनवाज उर्फ पतला की गिरफ्तारी पर 15,000/- रुपये का पुस्कार घोषित था। जिसमें लगातार उक्त बदमाश की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शहनवाज उर्फ पतला पुत्र रफीक उर्फ रफात निवासी डी-248 गली नं0 04 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस।
2- 01स्प्लेंडर बाइक।
3- गौकशी करने वाले उपकरण।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवासी देहात पर मुअसं 775/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त शहनवाज उर्फ पतला का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं 775/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

1- उ0नि0 श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम
2- है0का0 राहुल त्यागी, है0का0 कपिल नैन, है0का0 मनीष त्यागी, है0का0 निकुंज यादव, है0का0 प्रदीप कुमार, है0का0 मौ0 आरिफ, का0 सचिन चौहान, का0 रोहित कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 अमित कुमार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री शैलेन्द्र प्रताप सिह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
2- उ0नि0 विजेन्द्र मलिक, उ0नि0 नरेन्द्र, उ0नि0 आलोक कुमार, है0का0 रविन्द्र, का0 अरविन्द।

मीडिया सेल बुलंदशहर